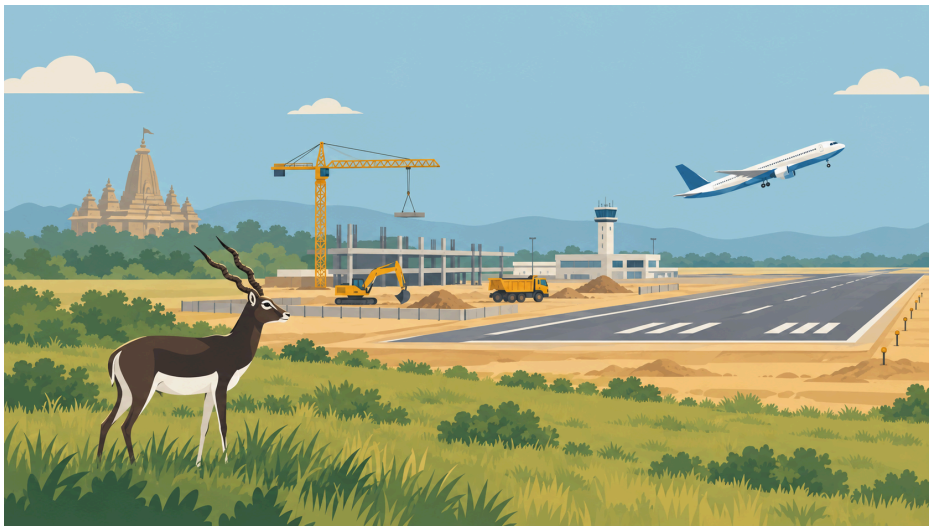
# उज्जैन एयरपोर्ट विस्तार: 2028 सिंहस्थ से पहले पर्यावरण मंज़ूरी टली - EAC ने मांगे और आंकड़े



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

## खबरों में क्यों

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की **विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC, Infrastructure-2)** ने **उज्जैन (दाताना) एयरपोर्ट** के उन्नयन-विस्तार प्रस्ताव पर फ़ैसला **टाल दिया**। समिति ने जनसुनवाई में उठाए गए मुद्दों के अपर्याप्त उत्तर, **फ़ौना (पशु-जीव) अध्ययन की कमी** और स्थानीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव के अधूरे आकलन का हवाला दिया - और **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)** से अतिरिक्त जानकारी मांगी। परियोजना **2028 सिंहस्थ कुंभ** से पहले तैयार करनी है, लागत **~₹250 करोड़**।

## परियोजना क्या है

- **विस्तार:** मौजूदा रनवे **1,077 मी × 23 मी** से बढ़ाकर **1,800 मी × 45 मी** - ATR-72 और Q400 जैसे विमानों के लिए; नया **4,060 वर्ग मी टर्मिनल** (पीक-ऑवर क्षमता 450 यात्री), एप्रन, आइसोलेशन बे, ATC टावर, फ़ायर स्टेशन।
- **क्षमता-अनुमान:** शुरुआत में दैनिक 20 वाणिज्यिक उड़ानें; वार्षिक ~7,300 विमान-आवागमन और ~5,43,500 यात्री।
- **भूमि:** राज्य सरकार मौजूदा एयरस्ट्रिप के अलावा **~241 एकड़** अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित कर देगी; वर्तमान में एयरस्ट्रिप चार्टर्ड उड़ानों के लिए उपयोग में।
- **उद्देश्य:** महाकालेश्वर मंदिर और धार्मिक पर्यटन-सर्किट के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए कनेक्टिविटी; 1 नवंबर 2025 को AAI-MP सरकार के बीच MoU।

## EAC ने क्या आपत्तियाँ उठाईं

- **अनुसूची-I प्रजाति विवाद:** AAI ने कहा 10-किमी बफ़र में अनुसूची-I प्रजातियाँ नहीं; **उज्जैन के DFO ने काला हिरण (Blackbuck) - अनुसूची-I - की उपस्थिति बताई**। EAC ने विस्तृत फ़ौना सर्वे और वन विभाग के परामर्श से **स्थल-विशिष्ट वन्यजीव संरक्षण योजना** मांगी।
- **जनसुनवाई की उपेक्षा:** 18 सितंबर की जनसुनवाई में स्थानीय लोगों और परियोजना-प्रभावितों ने मुआवज़ा, अप्रोच-रोड और कृषि-भूमि तक पहुँच के मुद्दे उठाए थे - EAC ने पाया कि उन्हें "ठीक से संबोधित/उत्तरित नहीं किया गया"; अब बजट-प्रावधान और समयबद्ध कार्य-योजना सहित विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
- **DGCA दूरी-नियम:** ToR की शर्तों का पालन दिखाना बाक़ी - नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के तहत मौजूदा हवाई अड्डे से **150 किमी हवाई दूरी** के भीतर नया ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट सामान्यतः स्वीकार्य नहीं; हालाँकि ऐसे प्रस्ताव मौजूदा एयरपोर्ट पर प्रभाव की जाँच के बाद केंद्र सरकार के पास मामले-दर-मामला मंज़ूरी के लिए जा सकते हैं। इंदौर ~65 किमी (सड़क) दूर है - AAI के अनुसार यह अपग्रेडेशन है (MoU में sub-80 सीटर ATR-72), ग्रीनफ़ील्ड नहीं।

- **अन्य:** पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) का संशोधन, विस्तृत वृक्ष-सर्वे और क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव (भूमि चिह्नित करके)।

## क्यों महत्वपूर्ण है

- **GS-III पर्यावरण/इन्फ्रा:** EIA अधिसूचना 2006 के तहत EAC की भूमिका, जनसुनवाई का औचित्य और विकास-बनाम-संरक्षण संतुलन का लाइव उदाहरण।
- **सिंहस्थ 2028 की दौड़:** धार्मिक-पर्यटन अवसंरचना बनाम प्रक्रिया-अनुपालन - समय-सीमा दबाव में भी अनुपालन अनिवार्य।
- **वन्यजीव संरक्षण:** काला हिरण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची-I में - सर्वे में चूक गंभीर अनुपालन-विफलता।

## प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न 1:** काला हिरण (Blackbuck) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में आता है?

(a) अनुसूची-II

(b) अनुसूची-III

(c) अनुसूची-I

(d) अनुसूची-V

उत्तर और व्याख्या

**उत्तर: (c)** अनुसूची-I में सूचीबद्ध - सर्वोच्च संरक्षण-दर्जा; उज्जैन के DFO ने परियोजना-क्षेत्र में इसकी उपस्थिति बताई है।

**प्रश्न 2:** ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव मौजूदा नागरिक एयरपोर्ट से कितनी हवाई दूरी के भीतर होने पर मौजूदा एयरपोर्ट पर प्रभाव की जाँच और केंद्र की मामले-दर-मामला मंज़ूरी का विषय बनता है?

(a) 75 किमी

(b) 100 किमी

(c) 150 किमी

(d) 200 किमी

उत्तर और व्याख्या

**उत्तर: (c)** 150 किमी। यह पूर्ण निषेध नहीं है; नीति में केंद्र सरकार की मामले-दर-मामला मंज़ूरी का प्रावधान है।

## मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न:** "पर्यावरणीय समीक्षा प्रक्रिया विकास की बाधा नहीं, उसकी गुणवत्ता की गारंटी है।" उज्जैन एयरपोर्ट विस्तार में EAC के हस्तक्षेप के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द)

**रूपरेखा:** भूमिका - प्रस्ताव और EAC की स्थगन-टिप्पणी; प्रक्रिया-मूल्य - EIA 2006, जनसुनवाई, ToR अनुपालन; संरक्षण-आयाम - अनुसूची-I प्रजाति, फ़ौना सर्वे, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण; विकास-पक्ष - सिंहस्थ 2028, कनेक्टिविटी; निष्कर्ष - समयबद्ध अनुपालन से दोनों लक्ष्य संभव।

## FAQ

**संक्षिप्त उत्तर:** EAC ने उज्जैन (दाताना) एयरपोर्ट विस्तार (~₹250 करोड़) की मंज़ूरी टाल दी: जनसुनवाई के मुद्दों के अपर्याप्त उत्तर, अधूरा फ़ौना अध्ययन (DFO के अनुसार काला हिरण मौजूद), DGCA दूरी-नियम प्रमाण और संशोधित EMP/वृक्ष-सर्वे मांगे गए हैं।

### प्रश्न: EAC ने मंज़ूरी क्यों टाली?

तीन प्रमुख कारण: (1) AAI ने कहा अनुसूची-I प्रजाति नहीं, जबकि DFO ने काले हिरण की उपस्थिति बताई; (2) 18 सितंबर की जनसुनवाई के मुद्दे (मुआवज़ा, अप्रोच-रोड, कृषि-पहुँच) के ठीक उत्तर नहीं; (3) ToR शर्तों - विशेषकर DGCA के 150-किमी दूरी नियम - का प्रमाण अधूरा।

### प्रश्न: परियोजना में क्या-क्या शामिल है?

रनवे 1,800 मी × 45 मी (ATR-72/Q400), 4,060 वर्ग मी टर्मिनल (पीक-ऑवर 450 यात्री), एप्रन, ATC टावर आदि; ~241 एकड़ अतिरिक्त भूमि; वार्षिक ~5,43,500 यात्री क्षमता; लक्ष्य - 2028 सिंहस्थ से पहले।

### प्रश्न: आगे क्या होगा?

AAI विस्तृत फ़ौना सर्वे, वन विभाग के परामर्श से वन्यजीव संरक्षण योजना, जनसुनवाई-मुद्दों की समयबद्ध कार्य-योजना (बजट सहित), संशोधित EMP और वृक्ष-सर्वे/क्षतिपूर्ति प्रस्ताव जमा करेगा; तभी प्रस्ताव आगे अग्रेज़ होगा।

## स्रोत

- इंडियन एक्सप्रेस (15/16 नवंबर 2026): उज्जैन एयरपोर्ट अपग्रेड - EAC ने मंज़ूरी टाली, पर्यावरण विवरण मांगे
- EaseMyPrep: फ़ौना अध्ययन और पारिस्थितिकी कमियों पर clearance टला
- टिप्पणी: EAC बैठक के minutes IE रिपोर्ट के उद्धरण पर आधारित; मूल minutes स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं